

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशिषी नदिशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1
नवम्बर, 2019

देहरादून:

दनिंक

वषिय:- राज्य आपातकालीन परचालन केन्द्र(SEOC) तथा जनपद आपातकालीन परचालन केन्द्रों (DEOC) में स्थापति सैटेलाईट फोनों हेतु 14 Docking Unit (जसिके स्थापति होने से indoor calling की जा सके) क्रय कयि जाने के लिए धनराशि अवमुक्त कयि जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त वषियक अपने पत्र संख्या-923/XIV-296/(2013)TC दनिंक 13.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जसिके माध्यम से राज्य आपातकालीन परचालन केन्द्र(SEOC) तथा जनपद आपातकालीन परचालन केन्द्रों(DEOC) में स्थापति सैटेलाईट फोनों हेतु 14 Docking Unit (जसिके स्थापति होने से indoor calling की जा सके) क्रय कयि जाने के लिए कुल ₹0 21,47,600.00 की धनराशि अवमुक्त कयि जाने का अनुरोध कयि गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का नदिश हुआ है कि राज्य आपातकालीन परचालन केन्द्र (SEOC) तथा जनपद आपातकालीन परचालन केन्द्रों (DEOC) में स्थापति सैटेलाईट फोनों हेतु 14 Docking Unit (जसिके स्थापति होने से indoor calling की जा सके) क्रय कयि जाने के लिए कुल ₹0 21,47,600.00 (₹0 इक्कीस लाख सैतालसि हजार छः सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतबन्धों के अधीन आपके नवित्तन पर रखे जाने एवं व्यय कयि जाने की शरी राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1) स्वीकृत धनराशिका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु कयि जायेगा, जसि प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। कसिी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने पर पूरण उत्तरदायतिव अधिशिषी नदिशक, डी.एम.एम.सी. का होगा।
- 2) स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नयिमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पति कर दी जायेगी।
- 3) व्यय करते समय मतिव्यता के वषिय में शासन द्वारा समय-समय पर नरिगत आदेशों का अनुपालन कयि जायेगा।
- 4) स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धति बलिों को सचवि, आपदा प्रबन्धन वभिग से प्रतहिस्ताक्षरति कराकर ही कोषागार से आहरण कयि जायेगा। स्वीकृत धनराशिका लेखा-जोखा डी.एम.एम.सी. द्वारा रखा जायेगा।
- 5) स्वीकृत धनराशिका दनिंक 31.03.2020 तक उपयोग कर नरिधारति प्रारूप में उपयोगति प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कयि जाना आवश्यक होगा।

-2-

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक वित्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-102-02-आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र. संख्या-273 मतदेय/XXVII(5)/2019-20, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 में दी गई सहमति के आधार पर नर्गित किया गया है।

ह0/-

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव

संख्या- (1)/ XVIII-(2)/19-01(06)2007, तदुनिंक।

प्रतलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. नजिी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. नजिी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. नदिशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. नदिशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

ह0/-

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव